रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042024-253691
CG-DL-E-13042024-253691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1622]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946
No. 1622]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

का.आ. 1707(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 802 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 1 के अधीन सारिनी में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"1 श्री प्रणब किशोर दास, आईएएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष;";

मकान नंबर 333 सेक्टर 2 मनसा देवी काम्प्लेक्स, पंचकूला

(ii) पैरा 2 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

"2क. श्री प्रणब किशोर दास आईएएस (सेवानिवृत्त) की कालावधि प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की कालावधि के साथ समाप्त हो जाएगी "

[फा. सं. आईए 3-1/6/2021-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्या का0आ0 802(अ), तारीख 21 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

S.O. 1707(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 802(E), dated the 21st February, 2022, namely:-

In the said notification, -

(i) in the table under paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"1. Shri Pranab Kishore Das, IAS (Retd.)

House No. 333, Sector 2 Mansa Devi Complex, Panchkula Chairman;";

(ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2A. The tenure of Shri Pranab Kishore Das IAS (Retd.) shall be co-terminus with the tenure of the other members of the Authority.".

[F.No. IA 3-1/6/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE,Jt. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 802(E), dated the 21st February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.13 13:09:56 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022022-233637
CG-DL-E-21022022-233637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2022/फाल्गुन 2, 1943
No. 773] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2022/FALGUNA 2, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2022

का.आ. 802(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 554(अ), तारीख 30 जनवरी, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है केंद्रीय सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हरियाणा कहा गया है) का गठन निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को शामिल करते हुए करती है, अर्थात् :

1.	श्री समीर पाल स्रो, आईएएस (सेवानिवृत्त) मकान सं. 5409/1 (प्रथम तल), मॉर्डन हाउसिंग कॉम्पलेक्स, मणि मजरा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	अध्यक्ष;

2.	डॉ. आर. भास्कर, एफजीएस (इंड) एफजीजीएस स्कूल ऑफ साइंसिस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू) मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068	सदस्य;
3.	महानिदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, हरियाणा उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग और प्रक्रिया का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, हरियाणा, पैरा 5 के अधीन हरियाणा राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों पर अपना विनिश्चय देगा।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, हरियाणा की सहायता के प्रयोजन के लिए हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी कहा गया है), हरियाणा का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

1.	श्री विजय कुमार गुप्ता #1030, सेक्टर-14, फरीदाबाद, 121007, हरियाणा	अध्यक्ष;
2.	श्री प्रभाकर कुमार वर्मा एफ-12, मॉडयूल-9, मंगलम हाऊस, अभय खण्ड-3 इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014	सदस्य;
3.	डॉ. राजबीर सिंह बोंदवाल, आईएफएस (सेवानिवृत्त) #503, सेक्टर-14, फरीदाबाद-121007	सदस्य;
4.	डॉ. विवेक सक्सेना, आईएफएस, प्रबंध निदेशक हरियाणा वन विकास निगम बेज़ सं. 27-28; सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा-134102	सदस्य;
5.	डॉ. संदीप गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, पर्यावरणीय अध्ययन संस्थान, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	सदस्य;
6.	संयुक्त निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा	सदस्य-सचिव।

6. एसईएसी, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, हरियाणा द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और ऐसी प्रिक्रया का अनुसरण किया जाएगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एसईएसी, हरियाणा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का प्रयत्न करेगा, और यदि वह सर्वसम्मति बनाने में विफल रहता है तो बहुमत की राय स्वीकार की जाएगी।

9. किसी तरह के हितों के संघर्ष से बचने के लिए –

(क) हरियाणा के प्राधिकरण और एसईएसी, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यगण अपने सहयुक्त परामर्शी संगठन और परियोजना प्रस्तावकों जिससे वे संबद्ध रहे हैं की घोषणा करेंगे;

(ख) हरियाणा के प्राधिकरण और एसईएसी, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसी किसी परियोजना, के लिए कोई परामर्श नहीं देंगे या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी से संबद्ध नहीं रहेंगे जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, हरियाणा और एसईएसी हरियाणा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किया जाना है; और

(ग) प्राधिकरण, हरियाणा और एसईएसी, हरियाणा के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने यदि पिछले पांच वर्षों में, किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध कराई है या विस्तार अध्ययन करवाए हैं, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, हरियाणा और एसईएसी, हरियाणा की बैठक से अपने आपको अलग रखेंगे।

10. हरियाणा सरकार प्राधिकरण, हरियाणा और एसईएसी, हरियाणा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय अपने समस्त सांविधिक कार्यों के संबंध में समस्त वित्तीय एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग के साथ-साथ आवास, परिवहन एवं ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण, हरियाणा और एसईएसी, हरियाणा के अध्यक्ष और सदस्यों के बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का भुगतान हरियाणा सरकार के नियमानुसार किया जाएगा।

[फा.सं. आईए 3-1/6/2021-आईए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2022

S.O. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 554(E) dated the 30th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Haryana (hereinafter referred to as the Authority, Haryana) comprising of the Chairman and the following members, namely:-

1	Shri. Sameer Pal Srow, IAS (Retd.) House No. 5409/1 (First Floor), Modern Housing Complex, Mani Majra, U.T. Chandigarh	Chairman;
2	Dr. R. Baskar, FGS(Ind), FGGS School of Sciences, Indira Gandhi National Open University(IGNOU) Maidan Garhi New Delhi-110068	Member;

3	Director General, Environment & Climate Change Department, Haryana	Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority, Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Haryana shall exercise such power and follow such procedure as specified in the said notification.

4. The Authority, Haryana shall take its decision on the recommendation of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Haryana.

5. For the purpose of assisting the Authority, Haryana, the Central Government, in consultation with the Government of Haryana, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC), Haryana comprising of the Chairman and following members, namely:-

1	Shri. Vijay Kumar Gupta # 1030, Sector-14, Faridabad, 121007, Haryana	Chairman;
2.	Shri. Prabhaker Kumar Verma F-12, Module - 9, Mangalam houses, Abhay Khand – 3 Indirapuram, Ghaziabad - 201014	Member;
3.	Dr. Rajbir Singh Bondwal, IFS (Retd,) # 503, Sector-14, Faridabad, 121007	Member;
4.	Dr. Vivek Saxena, IFS, Managing Director, Haryana Forest Development Corporation, Bays No 27-28, Sector -4, Panchkula, Haryana-134102	Member;
5.	Dr. Sandeep Gupta, Assistant Professor, Institute of Environmental Studies, Kurukshetra University, Kurukshetra	Member;
6.	Joint Director, Environment and Climate Change Department, Haryana	Member Secretary.

6. The Chairman and members of SEAC, Haryana shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Haryana shall exercise such power and follow such procedure as specified in the said notification.

8. The SEAC, Haryana shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if he fails to reach the consensus, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

(a) the Chairman and members of the Authority, Haryana and SEAC, Haryana shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and members of the Authority, Haryana and SEAC, Haryana shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA)

Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Haryana and SEAC, Haryana during their tenure; and

(c) if in the preceding five years, the Chairman or any of the members of the Authority, Haryana and SEAC, Haryana have provided consultancy service or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Haryana and SEAC, Haryana in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Haryana shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Haryana and SEAC, Haryana and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and members of the Authority, Haryana and SEAC, Haryana shall be paid in accordance with the rules of the Government of Haryana.

[F. No. IA3-1/6/2021-IA.III]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.21 22:57:26 +05'30'